Australian Government
Asbestos Safety and Eradication Agency

ऐस्बेस्टॉस सुरक्षा व ऐस्बेस्टॉस को जड़ से उखाड़ने संबंधी एजेंसी

(Asbestos Safety and Eradication Agency)

एजेंसी

ऐस्बेस्टॉस संबंधी उन मुद्दों पर, जो कार्यस्थल सुरक्षा के दायरे से आगे जाते हैं व पर्यावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को शामिल करते हैं, राष्ट्रव्यापी विचारधारा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, Asbestos Safety and Eradication Agency (यह एजेंसी) 1 जुलाई 2013 को स्थापित की गई थी।

इस एजेंसी का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी स्तरों पर ऐस्बेस्टॉस संबंधी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाए व उनमें तेज़ी से बदलाव लाया जा सके।

इतिहास

2010 में, कॉमनवेल्थ सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में ऐस्बेस्टॉस प्रबंधन में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति का विकास करने हेतु सिफ़ारिशें करने के लिए विस्तृत पुनरीक्षण स्थापित किया था। इस पुनरीक्षण ने ऐस्बेस्टॉस प्रबंधन के मुद्दों को कार्य स्वास्थ्य व सुरक्षा के दायरे से बाहर निकाल कर उनमें पर्यावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को शामिल किया है। यह पुनरीक्षण ऐसे मुद्दों को भी देखता है जिनमें शिक्षा व सार्वजनिक जागरुकता, ऐस्बेस्टॉस को हटाना, ले जाना व निपटाना शामिल हैं।

अगस्त 2012 में जारी की गई *Asbestos Management Review Report* (ऐस्बेस्टॉस प्रबंधन पुनरीक्षण रिपोर्ट) ने आम समुदाय में ऐस्बेस्टॉस संबंधी जागरुकता व प्रबंधन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति योजना का विकास करने की सिफ़ारिश की। इस पुनरीक्षण ने यह सिफ़ारिश भी की कि इस योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय एजेन्सी स्थापित की जाए।

इस कार्य को आरम्भ करने के लिए सितम्बर 2012 में Office of Asbestos Safety (ऐस्बेस्टॉस सुरक्षा कार्यालय) स्थापित किया गया। इस कार्यालय ने राष्ट्रीय कार्यनीति योजना का विकास करने के लिए राजकीय व क्षेत्रीय सरकारों तथा मुख्य हिस्सेदार संगठनों के साथ घनिष्ठ रूप से मिल कर काम किया।

Asbestos Safety and Eradication Agency Act 2013 बनाए जाने से 1 जुलाई 2013 को Office of Asbestos Safety के बदले में Asbestos Safety and Eradication Agency बनाई गई। इस एजेंसी व इसकी काउंसिल को उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया है।

राष्ट्रीय कार्यनीति योजना

National Strategic Plan for Asbestos Awareness and Removal 2013–2018 (ऐस्बेस्टॉस जागरुकता व निष्कासन राष्ट्रीय कार्यनीति योजना 2013–2018) 31 जुलाई 2013 जारी की गई थी। यह योजना, ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रकार की प्रथम योजना है और ऐस्बेस्टॉस का उन्मूलन करने, संचालन व जागरुकता के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण निर्धारित करती है।

इस योजना का लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया में ऐस्बेस्टॉस रेशे के प्रभाव से बचाव करना जिससे कि ऐस्बेस्टॉस संबंधी बीमारियों का अंत किया जा सके। यह लक्ष्य इस प्रकार पूरा किया जाएगाः

- लोगों में ऐस्बेस्टॉस के साथ काम करने व उससे प्रभावित होने के ख़तरों के बारे में जागरुकता को बढ़ाना
- ऐस्बेस्टॉस संचालन व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय रूप से एक समान सर्वोत्तम प्रणाली का विकास करना
- पूरे देश में सरकारी व व्यापारिक भवनों में ऐस्बेस्टॉस पाए जाने वाले पदार्थों का स्थान व उनकी हालत की पहचान करना व उसका रिकॉर्ड रखना
- पूरी ऑस्ट्रेलिया में ऐस्बेस्टॉस हटाने के कार्यक्रमों के विकास को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना
- ऑस्ट्रेलियाई समुदायों पर ऐस्बेस्टॉस के प्रभाव से होने वाले ख़तरों को कम से कम करने के लिए राष्ट्रीय शोध को समन्वित करना
- विश्वव्यापी ऐस्बेस्टॉस निषेध के लिए वैश्विक अभियान में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाना।

इस योजना के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए यह एजेंसी सरकार के सभी स्तरों पर व दावेदारों में काम का समंवय करेगी।

वर्तमान योजना एजेंसी की वेबसाईट पर उपलब्ध हैः www.asbestossafety.gov.au

The Asbestos Safety and Eradication Council (ऐस्बेस्टॉस से सुरक्षा व इसे नष्ट करने संबधी काऊन्सिल)

एजेंसी को काम करने में ऐस्बेस्टॉस सुरक्षा व नष्ट करने संबधी काऊन्सिल (यह काऊन्सिल) से सहायता मिलती है।

इस काऊन्सिल में एक अध्यक्ष व नौ सदस्य होते हैं जो कॉमनवैल्थ सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सदस्यों को ऐस्बेस्टॉस सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निगमीय शासन में उनके अनुभव व विशेषज्ञता या ऐस्बेस्टॉस संबंधी बीमारियों (ARDs) से पीड़ित लोगों व उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर चुना जाता है। एक पद कॉमनवैल्थ सरकार के प्रतिनिधि व चार पद राजकीय, क्षेत्रीय या स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित है हैं।

यह काऊन्सिल, राष्ट्रीय कार्यनीति योजना व अन्य ऐस्बेस्टॉस से सम्बंधित सुरक्षा के मामलों के बारे में मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO) व मंत्री को सलाह प्रदान करती है।

National Asbestos Exposure Register (राष्ट्रीय ऐस्बेस्टॉस प्रभावन रजिस्टर)

यह एजेंसी प्रथम National Asbestos Exposure Register का संचालन करती है। रजिस्टर में, समुदाय के उन सदस्यों का विवरण रखा जाता है जो यह सोचते हैं कि हो सकता है कि उनके उपर ऐस्बेस्टॉस या ऐस्बेस्टॉस वाले पदार्थों का प्रभाव हुआ है।

यदि आप सोचते हैं कि नौकरी के दौरान या समुदाय में आपके ऊपर ऐस्बेस्टॉस या ऐस्बेस्टॉस वाले पदार्थों का प्रभाव हुआ है तो आप ऑनलाईन इस वेबसाईट www.asbestossafety.gov.au पर रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म भर कर अपना विवरण दर्ज़ कर सकते हैं या enquiries@asbestossafety.gov.au पर ईमेल से इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म मँगवा सकते हैं।

जो भी जानकारी रजिस्टर में होती है वह गोपनीय रखी जाती है और इसमें दिए गए विवरण आपकी स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी तृतीय पक्ष को नहीं दिए जाएँगे।

ऐस्बेस्टॉस संबंधी तथ्य

- ऐस्बेस्टॉस एक शब्द है जो छः प्राकृतिक रूप से होने वाले खनिज रेशों (तन्तु) के दल का नाम है
- ये तन्तु या तो सरपेन्टाईन दल (क्रिसोटाईल या सफ़ेद ऐस्बेस्टॉस) या एम्फ़ीबोल दल (ऐन्थोफ़िलाईट, ऐमोसाईट, क्रॉकिडोलाईट, ट्रमोलाईट व ऐक्टीनोलाईट या भूरा, सलेटी या नीला ऐस्बेस्टॉस) का हिस्सा होते हैं।
- लम्बे समय तक ऐस्बेस्टॉस के लचीलेपन, तनन बल, उष्मता या बिजली से पृथक रखने के गुण व सस्ता होने के कारण उसे एक बहुउपयोगी खनिज माना जाता था।

ऑस्ट्रेलिया में ऐस्बेस्टॉस का उपयोग

- ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऐस्बेस्टॉस उपयोग करने में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों में से एक था
- भवन निर्माण, नौपरिवहन व निर्माण उद्योगों में ऐस्बेस्टॉस का उपयोग बड़े पैमाने पर होता था
- 1945 से 1980 के अंत तक बनाए गए अंदाज़न एक तिहाई घरों के इन हिस्सों में ऐस्बेस्टॉस हो सकता है, जैसे कि भीतरी छतें, अंदर की दीवारें, बाहरी छतें, छज्जे, बाहरी आवरण, गीले क्षेत्र व फ़र्श की विनाइल प्लास्टिक की टाईलें
- कई प्रकार के उत्पाद बनाने में ऐस्बेस्टॉस का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता था, जैसे कि ब्रेक पैड, गास्केट, सील, पाईप व पाईप लपेटने की पट्टी
- जिन उत्पादों में क्रॉकिडोलाईट व ऐमोसाईट ऐस्बेस्टॉस होता है उनका निर्माण व उन्हें लगाना 1985 में वर्जित कर दिया गया था
- 1980 दशक के अंतिम वर्षों तक भवन निर्माण उत्पादों में किसी भी ऐस्बेस्टॉस का उपयोग पूरी तौर पर वर्जित कर दिया गया था
- 31 दिसम्बर 2003 में क्रिसोटाईल ऐस्बेस्टॉस के आयात पर व उसके सभी उपयोगों पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया गया।

ऐस्बेस्टॉस से होने वाली बीमारियाँ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि ऐस्बेस्टॉस के तंतुओं का प्रभाव होने पर कैंसर व अन्य बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें प्लूरसी, ऐस्बेस्टोसिस, फेफड़ों का कैंसर व मिसोथिलियोमा शामिल हैं
- WHO ने बताया है कि ऐस्बेस्टॉस के तंतुओं के किसी भी रूप में ऐस्बेस्टॉस के प्रभाव का कोई सुरक्षित न्यूनतम स्तर नहीं है
- रिपोर्टों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में ऐस्बेस्टॉस से प्रभावित बीमारियों का होना, विश्व में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, जिसमें सबसे अधिक मिसोथिलियोमा का होना शामिल हैं और यह बीमारी जानलेवा व लाइलाज है
- 2010 में, ऑस्ट्रेलिया में मिसोथिलियोमा से मरने वालों की संख्या 642 थी
- अंदाज़ लगाया जाता है कि अगले 20 वर्षों में 30,000 से 40,000 ऑस्ट्रेलियाई लोगों में ऐस्बेस्टॉस से होने वाली बीमारियों का होना पाया जाएगा।

संपर्क विवरण

वेबः www.asbestossafety.gov.au

ईमेलः enquiries@asbestossafety.gov.au

फ़ोनः 1300 326 148

ट्वीटरः @AsbestosSafety